प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 19.06.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 198 वाहनों से 2,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 198 वाहनों से 2,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 198 वाहनों से 2,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 198 वाहनों से 2,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैगेस्टर एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बेलहरकला *श्री हरिकेश भारती* के नेतृत्व मे आज दिनाँक 19.06.2026 को थाना बेलहरकला पर मु0अ0स0 179/2026 धारा 3 (1)/2 (b) (i) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र स्व० रामदुलारे निवासी ग्राम लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम लोहरसन से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 10.04.2026 को अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के दृष्टिगत थाना बेलहरकला पर पर मु0अ0स0 179/2026 धारा 3 (1)/2 (b) (i) यूपी गैंगस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र स्व० रामदुलारे निवासी ग्राम लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर।
अपराधिक इतिहास अभियुक्त-
01.मु0अ0सं0 70/2025 धारा 316(2), 318(2), 351(2), 3(5) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 316(2), 318(2), 351(2), 3(5) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।।
03. मु0अ0सं0 93/2025 धारा 316(2), 318(2), 351(3) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 94/2025 धारा 316(2), 318(2), 351(3) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 268/2025 धारा 3 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 316(2), 318(2) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 316(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
08. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, का० रत्नेश सिंह, का0 बृजेश सिंह, का0 प्रवीन तिवारी, का0 रामभूषण पटेल।

तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, तीन घटनाओं का खुलासा, मंगलसूत्र व 14,000 रुपये बरामद
थाना मेंहदावल पुलिस को मिली बड़ी सफलता; तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
कब्जे और निशानदेही से ठगी व चोरी के कुल ₹14,000 नगद, 01 मंगलसूत्र पीली धातु तथा 03 अदद मोबाइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 250/2026 धारा 318(4)/319(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 35/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बेलहरकला व मु0अ0सं0 95/2026 धारा 316(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. अरविन्द कुमार पुत्र रामशंकर निवासी रमवापुर कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 02. विकास पुत्र नगीना निवासी रमवापुर कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 03. विनोद वर्मा पुत्र शिवप्रसाद निवासी भिटवा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को प्रेमा स्कुल के पश्चिम कांटे मोड़ के पास स्थित बाग से आज दिनाँक 19.0.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

प्रथम घटना दिनांक 15.02.2026 को अभियुक्त अरविन्द कुमार एवं विकास द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम गौसपुर गोरखल में सोना साफ करने के बहाने एक बुजुर्ग महिला एवं एक अन्य महिला को झांसा देकर उनके आभूषण प्राप्त कर लिए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत था।

द्वितीय घटना दिनांक 20.02.2026 को अभियुक्तों द्वारा थाना बेलहरकला क्षेत्र के ग्राम भगौसा में एक घर में सेंधमारी कर आभूषण चोरी किए गए थे। इस संबंध में थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पंजीकृत था।

तृतीय घटना दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्त अरविन्द कुमार एवं विकास द्वारा थाना मेंहदावल क्षेत्र के ग्राम मधईपुर में एक महिला को तंत्र-मंत्र कराने का झांसा देकर विश्वास में लेते हुए उसका मंगलसूत्र एवं नगदी हड़प ली गई। इस संबंध में थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 250/2026 धारा 318(4)/319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा प्रेमा स्कूल के पश्चिम कांटी मोड़ के पास स्थित बाग से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं निशानदेही पर तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी गई महिला का मंगलसूत्र बरामद हुआ तथा अन्य दोनों मुकदमों से संबंधित कुल 10,000 रुपये नगद भी बरामद किए गए।
पूछताछ के आधार पर *थाना मेंहदावल के मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।* संबंधित अन्य मुकदमों के विवेचकों को भी बरामदगी के संबंध में अवगत करा दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
1. अरविन्द कुमार पुत्र रामशंकर निवासी रमवापुर कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
2. विकास पुत्र नगीना निवासी रमवापुर कुसरुखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
3. विनोद वर्मा पुत्र शिवप्रसाद निवासी भिटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
* एक मंगलसूत्र (पीली धातु का लॉकेट युक्त)
* 14,000 रुपये नगद
* 03 अदद मोबाइल फोन

पुछताछ वितरण- मै अरविन्द व विकास दोनो मिलकर 10.06.2026 को मधईपुर में एक महिला से तंत्र मंत्र कराने और उसके अपने छल के माध्यम से विश्वास में लेकर उस महिला से नकदी रुपया एवं उसका मंगलसूत्र ले लिये थे आज उसी मंगलसूत्र को विनोद वर्मा को यहाँ बुलाकर बेच रहे थे। घटित अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में पुछताछ करने पर अरविन्द व विकास ने बताया कि हम दोनों एक साथ मिलकर छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दे देते है। हम दोनों ने एक साथ मिलकर दिनांक 20.02.2026 को ग्राम भगौसा थाना बेलहरकला क्षेत्र में एक घर में सेंधमारी कर सोने चाँदी के एक झुमके पावजेब चुराये थे तथा दिनांक 15.02.2026 को ग्राम गौसपुर

गोरखल थाना क्षेत्र खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर में बुजूर्ग व्यक्ति से सोना साफ करने के साबून का झांसा में देकर साफ करने के बहाने कुछ जेवर एक बुजुर्ग एवं एक जवान महिला से ले लिये थे जिन्हे हम दोनों अज्ञात व्यक्ति को कम पैसे में बेच दिये थे उन दोनों घटनाओं के प्राप्त जेवर के बेच के पैसे हम दोनों अपने कुड़वा गाँव में डेरे में रखे हुए थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 अरविन्द कुशवाहा, का0 चन्दन कुमार यादव, रि0का0 गौरव दुबे, रि0का0 पीयूष तिवारी।

विषय: "ऑपरेशन क्रैक डाउन" के तहत थाना बखिरा व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

घटना व मुठभेड़ का विवरण
दिनांक 18.06.2026 को थाना बखिरा क्षेत्र के बभनी चौराहे पर पुरानी रंजिश के चलते आनंद (उम्र लगभग 30 वर्ष, पुत्र इन्द्रेश, निवासी: ग्राम कोलकी चमरसन) की मुर्गा काटने वाले चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना बखिरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थीं। आज पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि हत्या का मुख्य वांछित अभियुक्त भागने की फिराक में है।
इस सूचना पर जनपदीय एसओजी और थाना बखिरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को अपने करीब आता देख अभियुक्त ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में मुख्य अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर मौके पर गिर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
मुख्य अभियुक्त (नाम गोपनीय/विधिक प्रक्रियाधीन), निवासी: थाना बखिरा क्षेत्र, जनपद संतकबीरनगर। (घायल/गिरफ्तार)
पंजीकृत अभियोग
थाना बखिरा पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2026 के अंतर्गत निम्नलिखित सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 103(1), 352, 351(3)
SC/ST एक्ट: धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(v), 3(2)(va)
(नोट: पुलिस टीम पर फायरिंग के संबंध में BNS की धारा 109(1) व आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं की वृद्धि की जा रही है)
बरामदगी का विवरण
01 अदद .315 बोर का अवैध तमंचा।
01 अदद खोखा कारतूस (मौके पर फायर किया गया)।
01 अदद मिसफायर/जिंदा कारतूस।
01 अदद मोबाइल फोन।

वर्तमान स्थिति एवं विधिक कार्रवाई
घटना में शामिल अन्य नामजद अभियुक्तों (नासिर, निरहू, जैगम) तथा अज्ञात सहयोगियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ है तथा एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

द्वारा निर्देशित: श्री संदीप कुमार मीना (पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर), श्री सुशील कुमार सिंह (अपर पुलिस अधीक्षक) व संबंधित क्षेत्राधिकारी।
द्वारा जारी: मीडिया सेल, संतकबीरनगर पुलिस।